Signature of Date of Parties or Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Order or Pleaders Proceeding necessary राज्य द्वारा एडीपीओ उप0। आरोपीगण सहित अधि०श्री राजीव शुक्ला उप0 प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। आज दिनांक को फरियादी श्रीमती निर्मला उप0 है। फरियादी की पहचान अधि०श्री प्रदीप शर्मा द्वारा की गई है। इसी प्रकम उभयपक्षों द्वारा व्यक्त कियागयाकि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है। अतः प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक मजि०प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध मे रेफरल ऑर्डर तैयार किया जावे। उभयपक्षो को निर्देशित किया जाता हैकि वह मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक मजि०प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में उप० हो। प्रकरण मीडिएशन रिपीट हेतु थोडी देर पश्चात पेश हो। गोहद जिला- भिण्ड (म.प पक्षकार पूर्ववत प्रकरण में मीडिएशन रिपॉट प्राप्त। इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी आकाश शर्मा पर भादस की धारा 294,323 / 34एव 506 भाग दो तथा आरोपी नाथूराम पर भादस की धारा 294,323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी निर्मला ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की

GRPG-73-Forms-24-6-16-3,00,000 Forms.

II—156 C.J.

## Order Sheet [Contd]

Case No.

.of 20 . . .

D
Date of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामां के आधार पर आरोपी आकाश शर्मा को भादस की धारा 294,323/34 एवं 506 भाग दो तथा नाथूराम को भादस की धारा 294,323 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत हैं उनके जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार में जमा किया जावे।

RY

प्रतिष्टा अवस्था जिल्लामण्डली न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला- निण्ड (म.प